

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

कार्यालय

(राज.)

क्रमांक 287

दिनांक 20/11/98

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

लोकेश शर्मा

पति/पति/धर्मपत्नी श्री

शिवलाल शर्मा

गाँव/नगर

अजमेर

जिला/जिला

अजमेर

क्षेत्र राजस्थान

जाति समुदाय

जीनगर

का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसूचित

जाति-अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है:

- * संविधान (अनुसूचित जाति) के आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य आदेश, 1951
- * (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियाँ) (संशोधन) आदेश, 1951 बम्बई, पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब, अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किये गये अनुसार।

- * संविधान (जम्मू-काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1954
- * संविधान (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- * संविधान (वायव्य तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (फाकिरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- * संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमती/कुमारी

लोकेश शर्मा

और/अथवा उसका

परिवार

के सदस्य

गाँव

अजमेर

जिला/जिला

अजमेर

राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

स्थान:-

दिनांक

* कृपया उन शब्दों को काट दीजिये जो सगू नहीं होते।

* विशेष:- यहाँ पर प्रयुक्त सामान्यतया रहता है, का अर्थ यही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

द्वारा सत्यापित